



# गरवी GARVI GUJARAT

“पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—यह राष्ट्रीय संकट है, सभी राज्य सहयोग करें”

खुद को पुलिस अधिकारी, सरकारी जांच एजेंसी के सदस्य या कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना और पीड़ितों को वीडियो कॉल के माध्यम से धमकाकर पैसे वसूलना एक संगठित अपराध का नया स्वरूप है, जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसे रोकने के लिए अलग स्तर की राष्ट्रीय समन्वय वाली जांच की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ठगों के इस नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ की भी आशंका है, क्योंकि कई मामले ऐसे पाए गए हैं जिनमें कॉल विदेशी सर्वरों से आते हैं और तो इंटरपोल (Interpol) की मदद लेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन गैंग्स का पीछा किया जाए। पीड़ित ने कहा कि साइबर अपराध की यह श्रेणी अब सामान्य अपराध नहीं, बल्कि अर्थिक अत्याचार और राष्ट्रीय स्तर का खत्म बन गई है। अदालत ने पहले 3 नवंबर हुई सुनवाई की याद दिलाते हुए कहा कि 3 तक करीब 3,000 करोड़ की ठगी डिजिटल अपराध मामलों में सामने आई है। न्यायालय ने इसे 'आयरन हैंड से निपटने योग्य राष्ट्रीय समस्या' बताया था। इस बार की सुनवाई अदालत ने रिजिञ्च बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बैंकिंग सिस्टम साइबर अपराधियों द्वारा ठगी में उपयोग किया जाता है।

असम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, राज्य में भी देशभर जैसा एसआईआर लागू करने की मांग तेज

नई दिल्ली। असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। गौहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मृणाल कुमार चौधरी ने निर्वाचन आयोग के 17 नवंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आयोग ने असम के लिए केवल “विशेष पुनरीक्षण” का निर्देश दिया था। याचिका में मांग की गई है कि असम में भी पूरे देश की तरह “विशेष गहन पुनरीक्षण” यानी एसआईआर लागू किया जाए। याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्ष्मीपुर और पुदुचेरी जैसे राज्यों में जहां एसआईआर लागू है, वहीं असम को इससे बाहर रखना न केवल मनमाना कदम है बल्कि भेदभावपूर्ण भी। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक ही देश में मतदाता सूची सुधार के दो अलग-अलग मानक नहीं रखें जा सकते, और असम ने अपने नियमों की सारी वार्ता में ऐसा

और भी महत्वपूर्ण है कि गहन पुनरीक्षण किया जाए। असम से जुड़ी ऐतिहासिक रिपोर्टों को भी याचिका में आधार बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता और राज्य के पूर्व राज्यपाल लेफिटनेंट जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्टों हवाला देते हुए कहा गया है कि 1997 तक असम में 40 से 50 लाख अवैध आप्रवासी रह रहे थे। याचिका के अनुसार बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासियों के कारण मतदाता सूची की शुद्धता संदिग्ध हो जाती है, इसलिए राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अत्यावश्यक है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि असम में भी देश के अन्य राज्यों की तरह एसआईआर लागू किया जाए और मतदाता सूची से अवैध आप्रवासियों को व्यवस्थित ढंग से हटाया जाए। मामले की सुनवाई में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और क्या चुनाव आयोग को अपने अपेक्षाएँ जीती सारी सारी सोची हैं और यही हाथियों को बार-बार खींच रहा है। बन विभाग के अधिकारियों का कहने के लिए यह बातों में अलग-अलग विवरण है।

## महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल: स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में आज सुनवाने राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली बड़ी परीक्षा

मुंबई की सियासत इस दिसंबर की सुबह जैसे एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में लंबे समय से टलते आ रहे स्थानीय निकाय चुनावों का पहला चरण आज आयोजित हो रहा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'सत्ता का सेमीफाइनल' कह रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद यह पहली बड़ी वोटिंग है, जो न सिर्फ जनता के मूड़ का अगला संकेत देगी, बल्कि आने वाले महीनों में होने वाले निगम, जिला परिषद और पंचायत समितियों के विशाल चुनावी



जपन मतावाकर का प्रधाना कर रहा है। सुबह से ही कई जिलों में मतदान केंद्रों पर कतारें नजर आईं—ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक उत्साह और शहरों में धीमी लेकिन steady शुरुआत। चुनाव आयोग ने 62,108 अधिकारियों-कर्मचारियों को तैनात किया है, जो इस विशाल प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराने में जुटे हैं।

इस पहले चरण में 6,705 सदस्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों का भविष्य तय होने जा रहा है। चुनाव इंवीएम से कराए जा रहे हैं, जिसके लिए 17,367 कंट्रोल यूनिट और 34,734 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है। नीतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। हालांकि 24 निकायों में नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं, अपीलों में देरी और चुनाव चिह्न आवंटन में गड़बड़ियों के चलते इनका चुनाव 20 दिसंबर तक टाल दिया गया है। इससे चुनावी क्षेत्रों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए तीन दिन तक नहीं मिले—इसे आयोग ने खुद नियमों का उल्लंघन माना।

और व्यापक भिड़ंत। भाजपा, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का महा-युति गठबंधन एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस का महा विकास आधारी (एमवीए) है। विधानसभा चुनावों में महायुति को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद निगाहें इस पर हैं कि क्या वही लहर छोटी सरकारों में भी दिखेगी, या फिर सत्ता के विरुद्ध स्थानीय असंतोष विषयक को मजबूती प्रदान करेगा।

इसी बीच भाजपा ने मतदान से पहले ही 100 सदस्य और 3 अध्यक्ष पद निर्विरोध जीतने का बड़ा दावा किया है। इसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने मोदी और फडणवीस के नेतृत्व में जनता के विश्वास का परिणाम बताया। इससे भाजपा का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है और विषय के भीतर बेचैनी।

स्थानीय निकायों पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी

कहा कि तकनीक से लड़ाई को तकनीक

राक सकता ह आर बाकग व्यवस्था का इस जेस साशल माडिया कपनिया, कोल/वाडि

पश्चिम मेदिनीपुर में हाथियों का बढ़ता कहर, पके धान के खेत रौदे; किसानों में गहरी दहशत, बन विभाग अलर्ट पर

वायु संकट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, कहा—पराली को राजनीति का हथियार नहीं समाधान का हिस्सा बनाएं



नहीं देखता—इसका असर अस्पतालों में भर्ती मरीजों से लेकर स्कूल जाते बच्चों तक हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। ऐसे में इसे राजनीतिक बयानबाजी का साधन बनाना जनता के साथ अन्याय होगा।

अदालत के सवालों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से बताया गया कि उहोंने राज्यों, पर्यावरण एजेंसियों और संबंधित विभागों से सुझाव मंगा हैं और इन आधारों पर एक समग्र रणनीति तैयार की जा रही है।

किए जाने वाले कदम कौन से होंगे, क्योंकि हालात हर साल बिगड़ते जा रहे हैं और केवल बैठकों और रिपोर्टों से हवा साफ नहीं होती। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जानकारी दी कि जल्द ही सभी सिफारिशों को मिलाकर एक विस्तृत 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' अदालत में दाखिल की जाएगी, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की योजनाएँ शामिल होंगी।

यी रिपोर्ट अस्पतालों के दूसरे दौर की समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजने का है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण पर प्रधार्व नियन्त्रण तभी संभव है जब किसान, उद्योग सरकारें और पर्यावरण एजेंसियाँ एक-टूसूल को दोष देने के बजाय सहयोग का रास्त अपनाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगर्लाल सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है, जिसमें केंद्र और आयोग द्वारा पेश की जाने वाली विस्तृत योजना के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी।

11. *What is the primary purpose of the following statement?*



## देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही सभी सामग्री लिंग तक पहुँचो

## संपादकीय

सहज कर्म-पथ का आह्वान है  
भगवद्गीता, अस्तित्व का अर्थ  
और मूल्य ही गीता का प्रतिपाद्य है

कालजयी श्रीमद्भगवद्गीता उस महाभारत का अंश है, जिसे भारतीय चिंतन परंपरा में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महाभारत की महागाथा में धर्म की अवधारणा ही प्रमुख है। गीता का आरंभ भी धर्म शब्द के साथ होता है। धर्म का तत्व देश, काल और पात्र के सापेक्ष होता है और गतिशील जीवन-पद्धति को इंगित करता है। ईश्वर का अवतार धर्म को पहचानने और स्थापित करने के लिए होता है। धर्म को रीति और नीति से भिन्न समझना होगा। अपने से दुर्बल की सहायता करना ही परम धर्म है। इसके दृष्टि से सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष ही धर्म की समझ भी आकार लेती है। ऋग्वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र आदि सब का संज्ञान लेते हुए महाभारत रचा गया। भगवद्गीता महाभारत का हृदय सरीखा है। भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है, पर उसके

पहले वन पर्व में व्याध-गीता का भी एक आख्यान आता है। आश्चर्य यह कि दोनों हिंसा की पृष्ठभूमि में हैं। एक कसाई के घर में तो दूसरा युद्धभूमि मैं। भौतिक (प्रकृति) और मानसिक चैतन्य (पुरुष) का भेद दोनों में ही दिखता है। प्रकृति का सत्य विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य की कल्पनाशीलता उसे चर अचर अन्य सभी जीवों या पदार्थों से अलग करती है। मनुष्य से यह अपेक्षा है कि वह पाश्विक वृत्ति से ऊपर उठ कर ऊर्ध्मुखी हो। यही जीवन में व्याप्त हीनता और क्षुधा को दूर करने वाला है। गीता की विचारधारा सदियों से देश-विदेश में मानवीय

नाना बाप विवाहित लादना से दरा विवरा न लाना बचने चिंतन को प्रभावित करती आ रही है। अब तक विश्वकी विभिन्न भाषाओं में गीता के तीन हजार से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि तमाम शास्त्रों को विस्तार में पढ़ने की जगह गीता को हृदयंगम करना ही पर्याप्त है। इसमें कृष्ण स्रोत हैं और संजय सूचना या संदेश के प्रस्तोता हैं। शायद धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण के वचनों को सुनते हैं, परंतु अपने-अपने दोनों से और कदाचित भिन्न भिन्न रूपों में। अर्जुन श्रीकृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र चुप रहते हैं। वे डरे सहमे हुए हैं। वे शायद मन ही मन कृष्ण के वचनों को सुनकर अपने दोनों दोनों हैं।

गुनत-आकृत ह। गीता में श्रीकृष्ण विश्लेषण (सांख्य) और संश्लेषण (योग) दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने

(योग) दाना पद्धतिया का उपयोग करत हा उन्हान व्यावहारिक कर्म-योग, भावनात्मक भवित-योग और बौद्धिक ज्ञान-योग का प्रतिपादन किया है। गीता के पांचवें अध्याय में श्रीकृष्ण शरीर को नौ द्वारों वाली एक पुरी बताते हैं। गीता द्वारा मानस का विस्तार और यथार्थ का बोध संभव होता है। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आप वर्तमान परिस्थिति को तो नहीं नियंत्रित कर सकते, किंतु उस परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करें, यह जरूर चुन सकते हैं। गीता का कर्मवाद यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माता भी है। इसका संदेश यही है कि आप स्वयं अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे बस में मात्र यही है कि हम परिस्थिति के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने को कहते हैं न कि फल पर। कर्म का परिणाम भी पांच पहलुओं पर निर्भर करता है—शरीर, मन, उपकरण, विधि तथा दैव (भाग्य)। मूर्ख ही खुद को अकेले कारण मानता है। यदि हम खुद को कर्मों के परिणामों से नहीं बांधते तो कर्म भी हमको नहीं बांधते। सुख, शक्ति और स्वर्ग की कामना से किया गया कर्म जब किया जाता है तो आँख फल पर टिकी होती है न कि कर्म पर। कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच के अंतर को समझना कठिन है। बुद्धिमान लोग कर्म फल से बिना जुड़े निर्लिप्त होकर काम करते हैं। कर्तृत्व के अधिमान से मुक्त होने और फलेच्छा का त्याग करने पर कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त होकर कर्म करना श्रेष्ठ कर्मयोगी बनाता है। सक्रिय होना कर्म है, पर परिणाम को बिना नियंत्रित करने की चेष्टा के कर्म करना कर्म-योग है।

..... ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਸਾ

# बस्तर में हो रहा है सुनहरा सवेरा...

“ हिंसा का खेल खेलने वाले नक्सली चौतरफा सरकारी प्रयासों के चलते या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या कार्रवाई में ढेर हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन अंदरखनी इलाकों तक दशकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वास्तविक रूप ले रही हैं। ”

जब किसी भी समस्या के समाधान के प्रति नेतृत्व की इच्छा शक्ति सच्चे अर्थों में सक्रिय होती है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। नक्सलवाद के संदर्भ में जो परिणाम आज देश देख रहा है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों के संकल्पित प्रयासों का ही फल है। जो बस्तर कभी लाल आतंक का प्रमुख गढ़ माना जाता था, वहां अब स्थायी शांति अपना आधार मज़बूत कर रही है। हिंसा का खेल खेलने वाले नक्सली चौतरफा सरकारी प्रयासों के चलते या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या कार्रवाई में ढेर हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन अंदरूनी इलाकों तक दशकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वास्तविक रूप ले रही हैं। पिछली उदासीन सरकारों और स्वार्थी माओवादियों ने जिन आदिवासियों को छला और लोकतंत्र से दूर रखा, वही समुदाय आज विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहा है।

भले ही नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा हो, लेकिन इसके दशकों पुराने घाव बेहद गहरे हैं। सैकड़ों जवानों और निर्देश नागरिकों की हत्या, विकास से पूरी पीड़ियों को वंचित रखना और भय का वातावरण ये सब नक्सलवाद की भयावह विरासत रही हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में इसकी ताकत चरम पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे देश की “सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती” बताया, लेकिन राजनीतिक मज़बूरियों और संकल्प के अभाव में कांग्रेस सरकारों इस खतरे पर निर्णायक प्रहार नहीं कर सकी।

उस दौर में बस्तर से लेकर राजनांदगांव, गरियाबांद और कवर्धा तक आतंक की जड़ें फैल चुकी थीं। नक्सलियों का लक्ष्य दंतेवाड़ा



से दिल्ली तक लाल झंडा फहराने का था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क से भी समर्थन मिलता था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस गंभीर खतरे को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 जिले में माओवादी आतंक की चपेट में आ गए और विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इसके विपरीत, आज मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से समझा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को उनके हाल पर छोड़कर देश पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता। मजबूत इच्छा शक्ति और कठोर कार्रवाई के परिणाम आज सामने हैं। आज बस्तर ही नहीं पूरा दंडाकारण्य क्षेत्र विकास का नया अध्याय लिखने को आतुर है। यह क्षेत्र भगवान राम के वनवास काल से चुड़ा है, बस्तर में रामपाल गांव, रामाराम मंदिर (सुकमा), राकसहाड़ा और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी भगवान राम से संबंधित हैं। नक्सलवाद के खग्रास ग्रहण से अब बस्तर मुक्त हो रहा है। अब एक बार फिर यहां भगवान राम का गैरव स्थापित हो रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में विष्य साय सरकार यहां राम राज्य स्थापित किए लिए संकल्पित हैं। यही फर्क है एक तरफ इच्छा शक्ति वाली सरकार और दूसरी तरफ उदासीन शासन की नाकामी।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विषय इस सफलता को नकारात्मक चश्मे से देते हुए में लगा है। कुछ नेता यह भ्रम फैलाने कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में उद्योगपाली के लिए जमीन तैयार करने हेतु नक्सल का सफाया किया जा रहा है। इससे अधिक खतरनाक यह है कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी नक्सलियों को आदिवासी का संरक्षक और जंगलों का रक्षक बताती है। यह सीधे-सीधे एक क्रूर, हिंसक विचारधारा को जीवित रखने की कोशिश जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत हाल ही में मुरभेड़ में मारे गए दुर्दांत नक्सली कमांडर हिडमा को लेकर कुछ लोग उहमदर्द के रूप में सामने आए हैं। कुछ

उसे बस्तर का रक्षक तक बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक चाल से सावधान रहने की आवश्यकता है। हिंडमा कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं था; उसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से सने हुए थे। ऐसे हिंसक व्यक्ति को आदर्श या प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना, उसे महिमामंडित करना—नक्सलवाद को पोषित करने जैसा ही है। यह दुर्दार्त हत्यारा बस्तर का आदर्श कैसे हो सकता है?

हृद तो तब होती है जब दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कांग्रेसी नेता हिंडमा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए अविभाजित मध्यप्रदेश में बस्तर को “कालापानी की सजा” कहा जाता था, उस दौरान ही नक्सलियों ने यहां अपनी जड़े मजबूत की। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही वर्ष 1995 में हिंडमा सहित कई युवा सरकारी उपेक्षा के कारण लाल आतंक की राह पर चल पड़े थे।

हमारा स्पष्ट मानना है कि भगवान बिरसा मुंडा, महान योद्धा गुणाधुर, परलकोट के राजा गेंद सिंह और शहीद वीर नारायण सिंह ही आदिवासी समाज के वास्तविक आदर्श हैं। आदिवासी समाज हिंडमा या बसव राजू जैसे हिंसक व्यक्तियों को अपना हीरो नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी परंपरा सदियों से इन्हीं महान नायकों को पूजती आ रही है।

यदि बस्तर में नक्सलवाद के उभार के मूल कारणों को याद करें तो सबसे प्रमुख कारण था आदिवासियों का प्रशासनिक तंत्र द्वारा शोषण और लगातार उपेक्षा। तब की कांग्रेस सरकारें न केवल बस्तर बल्कि देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों के प्रति उदासीन थीं। इसी खालीपन का फायदा उठाकर आंध्रप्रदेश से आए माओवादी यहां जड़े जमाने में सफल हुए।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार की शह पर 25 मार्च 1966 को बस्तर महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हो या पुलिस अत्याचार इन घटनाओं ने सरकार और आदिवासियों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बना दी। इसी खाई में माओवादियों ने अपनी जड़े गहरी कीं और दशकों तक समानांतर शासन चलाते रहे। गौरतलब है कि प्रवीरचंद भंजदेव बस्तर में आदिवासियों में बेहद लोकप्रिय थे, वे सरदार वल्लभभाई पटेल के समक्ष विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजाओं में से एक थे, इसके चलते पटेल के साथ उनके करीबी संबंध बन गए थे। भंजदेव ने कुछ और रियासतों को भी विलय कराने में मदद की थी, इसलिए भी कांग्रेस में एक बड़े खेमे को वे चुभने लगे थे। पटेल के नहीं रहने के बाद उनके योगदान को कमतर करने की कोशिश आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों द्वारा हुई ये किसी से छुपी नहीं है। भंजदेव का कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद का परिणाम था कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और पार्टी छोड़ दी थी इसके बाद कांग्रेस के साथ उनका मतभेद बढ़ता चला गया, आखिरकार पुलिस ने बेरहमी से गोलियां बरसाते हुए दरबार हाल के पास ही इस महानायक की हत्या कर दी गई। यह ऐतिहासिक भूल कांग्रेस आज भी दोहरा रही है नक्सलवाद के सफाए को लेकर भ्रम फैलाकर।

इसलिए आज आवश्यकता है कि इस नए “भ्रमवाद” से सावधान रहा जाए। नक्सलवाद के सफाए के इस निर्णायक चरण में देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, न कि झूठे भ्रम और राजनीतिक चश्मे से इस राष्ट्रीय उपलब्धि को कमज़ोर करने का प्रयास करना चाहिए।

FRUIT

प्लास्टिक का इतिहास पढ़ने बैठिए तो प्लास्टिक के दर्जनों रंग उनके चयन और खड़ी हो रही दीवारों जितना नहीं है। दकानों में संदिग्धों में खेतों में समझों में

सबसे पहले दिमाग में यही विचार आता है कि जिसे हमने आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कहा, उसी ने हमें असंख्य सुविधाएँ भी दी हैं। शायद इसी वजह से मन में कई बार यह भावना भी उठती है कि प्लास्टिक का आविष्कार करने वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को दुनिया ने जितना सम्मान देना चाहिए था, उतना दिया नहीं। हर घर में, हर दफ्तर में, हर दुकान में, हर सड़क के मोड़ पर, कहीं न कहीं प्लास्टिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हल्का, टिकाऊ, सुंदर, रंगीन, आकार बदलने वाला, सस्ता और हर जगह उपलब्ध—ऐसा बहुमुखी साथी शायद इंसान ने पहले कभी नहीं पाया। यही वजह है कि जिन भी चीजों को हल्का, चमकदार और किफायती बनाना था, उनमें प्लास्टिक ने कदम-दर-कदम अपनी जगह बना ली। फ्रिज की बोतलों से लेकर पानी की टंकियों, मोबाइल कवरों से लेकर बच्चों के खिलौनों, महंगे ब्रांडों की पैकेजिंग से लेकर रसोई की रोज़मर्रा की चीजों तक, प्लास्टिक एक छुपा हुआ लेकिन प्रभावी नायक बनकर हमारे जीवन में फैल गया। किसी जमाने में हमारी दादी-नानी मिट्टी, लकड़ी, धातु और काँच के बर्तनों की दुनिया में जीती थीं; आज रसोई के रैक में आधुनिकता का परिचय देते हैं। पालीहाउस में पकती सब्जियाँ, फ्रिज में ठंडे पानी की बोतलें, बच्चों के स्कूल बैग में रखे लंचबॉक्स, दफ्तरों में बैठकर पी जाने वाली चाय तक—सबमें प्लास्टिक की मौजूदगी एक निश्चित सहजता बन गई है। यही वजह है कि कई लोगों को प्लास्टिक इतना प्रिय लगता है कि वे उसे मज़ाक में ‘प्लास्टिकजी’ कहकर संबोधित कर देते हैं, मानो वह कोई भरोसेमंद परिचित हो जो हर समय साथ खड़ा रहता है। लेकिन दुनिया में कोई भी वस्तु एकत्रफ़ा नहीं होती। जिसने सुविधा दी, उसने नुकसान भी पहुँचाया। प्रकृति ने इंसान को बुद्धि दी थी, दिल भी दिया था, पर उसी इंसान ने अपनी ज़रूरतों और लालचों के चलते धरती को सबसे अधिक हानि पहुँचाई। बड़े-बड़े देशों की राजनीति, देशों के बीच की प्रतिस्पर्धाएँ, आधुनिक विकास की दौड़, उद्योगों का फैलाव—इन सबके बीच प्लास्टिक एक ऐसा हथियार बन गया जो जितना उपयोगी था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन विडंबना यह है कि कई लोग आज भी मानते हैं कि प्लास्टिक से होने वाला नुकसान दुनिया को बाँटने वाली राजनीति, नफरत का जहर, बढ़ती बेरोजगारी, वर्गवाद या धर्म के नाम पर

फिर भी वैज्ञानिकों ने चेताया है कि प्लास्टिक अब हमारी मिट्टी में ही नहीं, हमारे भोजन, हमारे रक्त और माँ के दूध तक में पहुँच गया है। आम सब्जियों—टमाटर, गाजर, पालक—के भीतर माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। समुद्री भोजन तो लगभग प्लास्टिक की दुनिया में जी रहा है। लेकिन लाख चेतावनियों के बावजूद हम इंसान इस सुविधा की जकड़ से निकलना नहीं चाहते। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक बन चुका है कि हर चीज़ को पैक करने, हर सामान को सुरक्षित रखने, हर उत्पाद को सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर जितनी बार भी बैठके हुई, जितने भी प्रतिबंध आए, उसकी खपत उतनी ही तेजी से बढ़ती चली गई। अब नई पीढ़ी तो इस जीवनशैली में पूरी तरह ढल चुकी है। पैकड़ फूड, सील्ड जूस, प्लास्टिक की बोतलों में भरा पानी, सिंथेटिक स्नैक्स—उनके बचपन का हिस्सा हैं। उन्हें मिट्टी की खुशबू, पारंपरिक बांस की टोकरियाँ, धातु के लंच बॉक्स या काँच की बोतलें पुरानी और असुविधाजनक लगती हैं। दुनिया की रफ्तार ऐसी हो चुकी है कि सुविधा ही सर्वोपरि सच बन गई है। यही कारण है कि प्लास्टिक घरों में, और यहाँ तक कि हमारी नसें जगह बना चुका है। मानवीय संबंध भी आजकल जैसे ही हो गए हैं—कभी कठोर, कभी टिकाऊ, कभी समाज की संरचना भी उससे रही है जैसे हम चीज़ों के पर निर्भर होते चले गए। यह मजबूत हो चुकी है कि लोग हैं—“प्लास्टिक छोड़ देंगे तो चलेगा जी?” और सच भी यह इसकी आदत इतनी हो चुकी है कि प्लास्टिक के आधुनिक जीवन तक नहीं कर पाते। प्लास्टिकजी की यही सर्वव्यापी सुविधा और हमारी असुविधाजनकी जड़ है। मनुष्य जानवर वास्तविक खतरा है, लेकिन ने इसे अपने जीवन में ऐसा है कि उससे दूरी बनाना उसी भी कठिन होता जा रहा है। यह चमकता साम्राज्य धीरे धरती, हमारे शरीर और हमारे ऐसे समा गया है कि चाहे हम चाहें, प्लास्टिकजी का शास्त्र रहेगा—जब तक इंसान सुविधाजनक बाहर निकलना नहीं सीख ले सके।

दिल्ली में सदियां शुरू हो गई हैं, लेकिन राजधानी में राजनीतिक पारा चढ़ने वाला है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से शुरू होने वाला यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। यानी संसद करीब 15 दिन ही चलेगी। यह सूचना भले ही प्रशासनिक कागजों में दर्ज हो, पर उसके भीतर देश की राजनीति की एक गहरी बेचैनी छिपी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब संसद के सत्र छोटे होने लगते हैं तो यह कुछ और नहीं जनता की आवाज का सिकुड़ना ही है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहां पांच सौ से अधिक लोकसभा सदस्य और ढाई सौ के करीब राज्यसभा सदस्य जनता की आवाज लेकर सदन में पहुंचते हैं, वहां सवाल यह है कि क्या इन सात सौ अस्सी से अधिक प्रतिनिधियों को मात्र पंद्रह दिनों में अपनी बात कहने का अवसर मिल पाएगा? यह गणित जितना सरल दिखता है, उतना ही खतरनाक है। अगर हर सांसद को अपने क्षेत्र की ओर से सिर्फ पांच मिनट बोलने का ही अवसर मिले, तो पैसठ घंटे से अधिक समय चाहिए। जबकि पूरे सत्र में मुश्किल से नब्बे घंटे की कार्यवाही होती है। उसमें प्रश्नकाल, विधेयक, औपचारिक भाषण और सरकार के एजेंडे का समय जोड़ दें तो बहस के साल में औसतन एक सौ बीस से अधिक दिन चलती थी। अब वह संख्या आधी रह गई है। शीतकालीन सत्र का पंद्रह दिनों तक सीमित रहना उसी गिरावट का हिस्सा है। यह सिर्फ समय की कमी नहीं, अपितु लोकतांत्रिक संस्कृति के सिकुड़ने की कहानी है। संसद को अब जनता के सवालों से ज्यादा अपने कार्यक्रमों की चिंता है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट या शिक्षा पर चर्चा पीछे खिसक गई है। संसद वह जगह थी जहां जनता बोलती थी, अब वह जगह बन गई है जहां सरकार बोलती है और बाकी सिर्फ सुनते हैं।

सवाल पूछना लोकतंत्र का अपराध नहीं, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर संसद जब अपनी सीट से खड़ा होकर कोई प्रश्न पूछता है, तो वह अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से बोलता है। जब उसे बोलने से रोका जाता है, तो यह एक तरह से उस जनता को चुप कराने जैसा है जिसने अपने बोट से उसे संसद तक पहुंचाया। यही कारण है कि संसद में कम होते सवाल, कम होते सत्र और बढ़ता मौन एक गहरी चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र की ताकत बहस में होती है और जब बहस सिमटने लगे तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र की सेहत गिर रही है। अब संसद का मौन

# त्रिवेणी की पुकारः प्रयागराज में माघ मास का महाआख्यान

प्रयागराज की पवित्र धरती हर वर्ष माघ मास आते ही एक ऐसी अदृश्य पुकार से भर जाती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसकी आत्मा गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम से किसी अदृश्य सूत्र में बंधी हो। सर्द जनवरी की सुबहों में जब धुंध गंगा किनारे तैरती हुई धूमने लगती है, तब लगता है जिसे आस्था स्वयं हवा बनकर पूरे शहर में फैल गई हो। इस बार का माघ मेला भी उसी चिरंतन परंपरा का हिस्सा है, परंतु इसके भीतर कुछ ऐसा है, जो इसे केवल एक धार्मिक अवसार नहीं रहने देता, बल्कि भारतीय चेतना का जीवित इतिहास बना देता है।

कहते हैं, संगम पर डाली गई एक छोटी-सी आस्था की डुबकी भी मनुष्य के भीतर वह प्रकाश जगा देती है, जिसे वह जीवनभर खोजता रहता है। शायद यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने वर्षा के रुकने भर की देर की और पूरा प्रयागराज माघ मेला बनाने में जुट गया। शहर की सड़कों पर, घाटों के किनारे, पुलों के नीचे-

ऊपर, आकाश में उड़ते ढोन की निगाहों में और गंगा के किनारे उगते हर तम्बू में माघ महीने की तैयारी एक जीवंत उत्सव जैसी दिखने लगी।

लाखों नहीं, करोड़ों कदम इस बार संगम तट को छूने वाले हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक हर दिन अनगिनत यात्राएँ पूरी होंगी। दूर-दराज के गाँवों से, पर्वतों से, समंदर किनारे बसे नगरों से, विदेशी आसमानों की उड़ानों से—सब दिशा की भीड़ प्रयागराज की ओर बढ़ रही है। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से मिलने का क्षण है।

महाकुंभ 2025 की विराट स्मृतियाँ अभी भी हवा में तैर रही हैं। उस अद्भुत आयोजन में जितने लोग आए, वह संख्या किसी भी देश की आधी जनसंख्या से अधिक थी। उसी स्मृति ने इस बार के माघ मेले को अभूतपूर्व बना दिया है। गंगा किनारा अब केवल एक नदी का तट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़े अस्थायी नगरों में बदलने वाला है। इस बार प्रशासन ने हर गलती, हर कमी और हर चुनौती को मानो पहले ही पढ़ लिया है। पूरे शहर में सैकड़ों किलोमीटर की रोशनी की श्रृंखलाएँ, जल पुलिस के नए दस्ता, एसडीआरएफ की नावें, रात-दिन निगरानी करते फुटेज, सुरक्षित बैरिकेड और अनगिनत अप्रोच मार्ग—सब मिलकर प्रयागराज को एक चलती-फिरती व्यवस्था में बदल रहे हैं।

माघ मेला केवल व्यवस्था का चमत्कार नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपे तप की पुकार भी है। हजारों कल्पवासी इस बार फिर संगम तट पर एक पूरा महीना बिताने आएँगे। वे मिट्टी पर चादर बिछाकर, ठंडी हवा में सुबह-सुबह स्नान करके, धूप और अन्न पर नियंत्रण रखते हुए एक ऐसा जीवन जीते हैं, जो आधुनिक समय की किसी भी संस्कृति में दुर्लभ है। इस बार उनके तम्बुओं के लिए नई ऊर्जा-सक्षम लाइटें, साफ पानी, सुरक्षित चूल्हे, बायो-

टॉयलेट और हर समस्या की कित्सा दल नियुक्त हैं। प्रशासन के प्रयासों उनके चेहरे पर वही शरहती है, जिसे देखकर कि वास्तविक तप तो होता है, व्यवस्था के आधार। भीड़ लाखों में हो, पर दृश्य फिर भी किसी उचित चित्र जैसा लगता है। लगातार बजते मंत्र, गूँजती घंटियों की ध्वनि की सतह पर तैरती दीपें और पाँवों से उठती हुई धूल—ये सब मिलकर वातावरण बनाते हैं, जहां ठहर जाता है। लोग डुबकी लगाते हैं और गंगा बैठकर अपने भीतर झाँकते हैं। वह क्षण, वह अपनी डुबकी—किसी पाठशाला सिखाई जा सकती। स्वच्छता इस बार का मूल चौबीस घंटे सफाई करने से चलते कचरा बायोडिग्रेडेबल किनारे बायोडिग्रेडेबल

उपलब्ध किए गए बाद भी त सादगी लगता है मन का उसका संगम का ध्यात्मिक व्यायामों पर दूर कहीं नि, जल की लौ रेत की एक ऐसा हाँ समय आते हैं, गांगा किनारे ने लगते भव, वह मां में नहीं न मंत्र है। री, GPS न, नदी ढब्बे और प्लास्टिक मुक्त अभियान पूरे क्षेत्र को एक अनुशासित, स्वच्छ और सुरक्षित आयोजन में बदल रहे हैं। हर ओर यह एहसास है कि आध्यात्मिकता तभी चमकती है जब उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ और संतुलित हो। साधु-संतों की अखाड़ा परंपरा इस बार और विस्तृत रूप में दिखाई देगी। उनके शिविरों में बैठकर दिये जाने वाले प्रवचन, मंत्रोच्चारण, योग-समाधि की अनुभूतियाँ और अनगिनत श्रद्धालुओं का आना-जाना—यह सब मिलकर माघ मेले को वह पहचान देते हैं, जिसके कारण दुनिया इस आयोजन को भारत की आत्मा कहती है। जब शाम ढलती है और गंगा किनारे गंगा आरती की लहरें उठती हैं, तब वह दृश्य किसी स्वप्न की तरह फैल जाता है। दीपकों की पंक्तियाँ पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ती हैं और पूरा संगम क्षेत्र एक साथ झिलमिलाने लगता है। हवा में कपूर और धूप की सुगंध घुल जाती है। सैकड़ों, हजारों आवाजें एक संगे” का मंत्र गूँजाती क्षण मनुष्य चाहे कि भाषा या संस्कृति से अस्वयं को इस दिव्यता महसूस करने लगता है। प्रयागराज का माघ में अद्भुत है क्योंकि प्रशासन से मिलती आधुनिकता से, साधु से और विदेशी भारत से। यह आयोजन हराह है, पर हर बार अपने नया लिए हुआ। इस होगा—वह अनंत अपार भीड़, वह श्रद्धा और वह पवित्र स्पर्श के जीवन में कभी-कही। संगम की यह पुलों को एक स्थाबुलाती, वह मन के हुई आध्यात्मिक चेतना करती है। और यही मवह महानता है, जो सभी आयोजनों से उत्तरी है—यह केवल आयत्मिक बल्कि आत्मा का उत्तर

थका-सा लगन लगा है। संसद अब बहस का नहीं, बल्कि विधेयक पारित करने का केंद्र बनती जा रही है। कई बार तो लगता है कि विधेयक पहले से तय होकर आते हैं और संसद सिर्फ उस पर मुहर लगाने की औपचारिकता निभाती है। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत होती है, पर जब संवाद घटता है, तो लोकतंत्र सिर्फ औपचारिक शब्द बनकर रह जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ केवल सत्ता पक्ष नहीं होता, बल्कि विपक्ष भी उसका हिस्सा होता है। विपक्ष कोई विरोधी दल नहीं, बल्कि लोकतंत्र का दूसरा फेफड़ा है। जब एक पक्ष बोलता है और दूसरा सुनता है, तभी यह प्रणाली सांस लेती है, मगर अब वह सांस घुटने लगी है। संसद में विपक्ष के बोलने के समय को सीमित किया जाना, असहमति को विघ्न मान लेना और सवाल पूछने वालों को 'अव्यवस्थित' करार देना, यह लोकतंत्र के चरित्र में आई सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। सत्ता को हमेशा सवालों की जरूरत होती है, क्योंकि सवाल ही उसे जमीन पर रखता है, लेकिन जब सवाल पूछने वाले कम हो जाएं या उनकी आवाज दबा दी जाए तो सत्ता जवाबदेह नहीं रहकर आत्मसंतुष्ट हो जाती है।

स्वतंत्रता के आरंभिक दो दशकों में संसद

का नतोंजा हो सकता है, पर यह जनता के प्रतिनिधित्व के आत्मा पर प्रहरा है। इतने कम समय में न कोई गहरी चर्चा हो सकती है, न किसी कानून के दूरामी प्रभावों पर विचार। यह लोकतंत्र का 'संक्षिप्त संस्करण' है कि यह तेज तो है पर आत्माहीन भी है।

लोकतंत्र को चलाने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, संवाद भी चाहिए। संसद को सिर्फ विधेयक नहीं, प्रश्न भी चाहिए। जो शासन संवाद से डरता है, वह अंततः जनता से दूर हो जाता है। संसद को अब समय की नहीं, गंभीरता की जरूरत है। यह वह जगह नहीं होनी चाहिए जहां सरकार केवल अपनी बात कहे, बल्कि वह मंच होना चाहिए जहां देश की हर आवाज, चाहे वह सत्ता की हो या विपक्ष की, उसे बराबरी और गंभीरता से सुना जाए। लोकतंत्र की सबसे सुंदर बात यही है कि वह बहस से चलता है, सहमति से नहीं। अगर संसद में अब सिर्फ सहमति बची है और असहमति को जगह नहीं दी जा रही तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र अब अपने मूल अर्थ से कहीं न कहीं दूर जा रहा है। लोकतंत्र का अस्तित्व संसद के शोर में है, उसकी चुप्पी में नहीं। संसद को चलाना ही पर्याप्त नहीं, उसे बोलना और सुनना भी चाहिए।



